भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3335

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएएम के तहत रोजगार के अवसर

3335. श्री सु. वेंकटेशन

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस) द्वारा प्रदत्त और भारतीय चिकित्सा राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) द्वारा मान्यता प्राप्त एमडी सिद्ध (योग) जैसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा स्नातकोत्तर अर्हताएं रखने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे व्यक्तियों को, जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं जिन्हें एनसीआईएम और एनएएम द्वारा चिकित्सा अर्हताओं के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत नियुक्त किया जा रहा है और डॉक्टरों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार की नियुक्तियों को चिकित्सा डॉक्टरों के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के लिए कोई आदेश, नियम या पात्रता मानदंड जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वंतत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ख): आयुष मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) नामक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है तथा एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य वार्षिक कार्ययोजनाओं के माध्यम से प्राप्त उनके प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को सहायता प्रदान करता है, जिसमें कि सिद्ध सहित विभिन्न आयुष पद्धतियों के अंतर्गत आयुष चिकित्सकों की तैनाती के लिए सहायता भी शामिल है। चूंकि, जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा एनएएम योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिए जनशक्ति की तैनाती उनके अधिकार क्षेत्र में आती है।

(ग): इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) एवं (ङ): प्रश्न नहीं उठता।
